

2024/39

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

राज अदालत- सहायक कलक्टर मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी:- औंकारदास स्वामी पुत्र श्री लिछमणदास जाति स्वामी निवासी पायली तहसील मौलासर, जिला-डीडवाना-कुचामन, राजस्थान ।

बनाम

अप्रार्थीगण :- लिछमणदास पुत्र सुरताराम जाति साद निवासी पायली तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान, वगैरा ।

केसम मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 21 /2024 सन्-2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।
20.02.2024	<p>प्रार्थी औंकारदास स्वामी पुत्र श्री लिछमणदास जाति स्वामी निवासी पायली तहसील मौलासर, जिला-डीडवाना- कुचामन, वगैरा राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण लिछमणदास पुत्र सुरताराम जाति साद निवासी पायली तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान, वगैरा के पेश किया । प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो ।</p> <p>स्थगन पर वकील प्रार्थी श्री पुसाराम चौधरी के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया । रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना के खसरा नम्बर 346, 386, 83, 86, 28 387 की भूमि में अप्रार्थीगण रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें । अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।</p> <p>नोट :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नहीं रहेगा । 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें । 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें । अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.03.2024 को पेश हो । <p>सुपखण्ड अधिकारी डीडवाना</p>	
26/2/2024	<p>आधिकार प्रार्थी के आदेश पर पर पत्रावली का प्रेषण आधिकार प्रार्थी के आदेश पर प्रेषण पर न्यायालय हाक के कार्य दिनांक 20.2.2024 के अंतर्गत सरहद डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना के खसरा पर सरहद पायली पटवार हल्का सुपखण्ड रिए जर्नल का अतिरिक्त डिप) आदेश पर पर सुन गण के</p>	



AKK
 के फर्क का अन्वेषण किया गया। के फर्क के अन्वेषण के बाद
 उस फर्क का परिचालन चूरी दरमानी के माध्यम से। अतः उपरोक्त
 फर्क स्पष्ट रूप से जमानत के आदेश दिनांक 20.2.2024
 में संविदा अंतर्गत (दीर्घा) फाउंडेशन के द्वारा दे दिया गया
 शर्त पर (प्राप्त) फाउंडेशन के द्वारा अंतर्गत (दीर्घा) दिया गया।
 पत्रावली मुद्रित दिनांक 10.2.2024 के पत्रावली।

सह उपस्थित
 डी.डी.वाला

18/2/24
 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा.
 अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
 जिसल दिनांक 26/4/24 को पेश हो।

26/4/24
 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा.
 अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधार है।
 जिसल दिनांक 26/6/24 को पेश हो।

26/6/2024

प्राची के अधिकार उपस्थित

अधिकार प्राची उपस्थित को प्रेष नहीं करने हैं। अतः उपरोक्त
 को प्रेष के कारण दिया जात है। पत्रावली को
 नम्बर से कर दोफर लखित रहत है।

Not
 Proes

inres

उपस्थित अधिकारी
 डी.डी.वाला